



बोडश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निमलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-24.03.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री भोला यादव,
स०वि०स०
2. श्री रत्नेश सादा,
स०वि०स०
3. श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्राम,
स०वि०स०
4. श्री अरुण कुमार,
स०वि०स०
5. श्री फराज फातमी,
स०वि०स०

“बिहार में विधि व्यवस्था नियंत्रण सहित विभिन्न सुरक्षा गृह कार्यों में बिहार गृह रक्षा वाहिनी की अहम् भूमिका है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने रखकर सरकार ने विचारोपरांत नियोजित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दिया लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी बिहार गृह रक्षा वाहिनी के रूप में राज्य की सेवा करने वाले गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को वेतनमान नहीं दिया गया है। देश के कई राज्यों यथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को वेतनमान दिया गया है।


अतः बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जवानों को भी अन्य राज्यों की भाँति वेतनमान दिये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री ललन पासवान, स०वि०स०	"रोहतास जिलान्तर्गत शिवसागर अंचल में स्थित शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम की स्थापना हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-1282, दिनांक-28.12.2012 के द्वारा रोहतास जिला के शिवसागर अंचल के मौजा-करूप, थाना संख्या-351, खाता संख्या-220, खेसरा संख्या-2043, 2044 एवं 2046 के रकवा-क्रमशः 6.75, 2.25 एवं 1.62 एकड़ कुल रकवा-10.62 एकड़ कैसरे हिन्द किस्म पुरानी परती भूमि पर स्वीकृति दी गई है, जिसकी संविदा मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण के पत्रांक-370, अनु० दिनांक-21.02.2017 द्वारा अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, आरा को 92,62,92,535/- (बानवे करोड़ बासठ लाख बानवे हजार पाँच सौ पैंतीस) रूपये की स्वीकृति दी गई है, लेकिन अभी तक शेरशाह अभियंता महाविद्यालय, सासाराम का भवन निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है।	भवन निर्माण
	श्री रामप्रीत पासवान, स०वि०स०		
	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स०		
	श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स०		
	श्री अशोक कुमार, स०वि०स०		
	श्री रामनारायण मंडल, स०वि०स		


अतः उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।"

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/17- २१०२-२११५ /वि०स०, पटना, दिनांक-२३ मार्च, 2017 ई० ।
प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्य मंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-17/17- २१०२-२११५ /वि०स०, पटना, दिनांक-२३ मार्च, 2017 ई० ।
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।


(अनिल कुमार जायसवाल)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना। 